उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011
(परीक्षा कोड–डी–01 / 2011)

संख्याःपीआरपीबीः–दो–1(2) 2011 दिनांक जुलाई, 15 2011

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के वेतनमान–पे बैण्ड–5200–20200 व ग्रेड पे–2000 के क्रमशः 39,425 एवं 2015 रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	पुलिस आरक्षी	आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी
1	सामान्य	20009	1008
2	अन्य पिछडा वर्ग	10430	544
3	अनुसूचित जाति	7889	423
4	अनुसूचित जन जाति	1097	40
योग		39425	2015

टिप्पणीः–

(1) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है।

(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत, होमगार्ड्स के लिये 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संयुक्त परीक्षा में श्रेष्ठताक्रम एवं अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयताक्रम (Order of preference) के आधार पर चयन किया जायेगा।

(4) उपरोक्त तालिका में अंकित रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

आवेदन पत्र

1– आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अधिसूचित डाकघरों में दिनांक 20–07–2011 से विक्रय हेतु उपलब्ध होंगे। अधिसूचित डाकघरों की सूची **परिशिष्ट–1** संलग्न है।

2– आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचित डाकघरों से विहित शुल्क रू0 50 / –का भुगतान कर क्रय किये जा सकेगें, जिसकी रसीद सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी। आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 प्रपत्र के रूप में होंगे तथा अभ्यर्थी अपने नाम से क्रय किये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर ही आवेदन कर सकेंगे।

3— विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर में अन्तिम तिथि 19—08—2011 को सायं 05.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र जिस डाकघर से क्रय किये गये हैं, उसी डाकघर में जमा किये जायेंगे। **अभ्यर्थियों द्वारा सीधे बोर्ड को प्रेषित ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।**

4— ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरते समय इरेजर/सफेदा/करेक्टिगं फ्ल्यूड अथवा ब्लेड का प्रयोग कतई न किया जाये अन्यथा आवेदन पत्र में भरे गये गोले मशीन द्वारा नहीं पढ़े जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5— ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र क्रय कर लेने पर उसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं।

6— अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकेगा। एक से अधिक जगह से अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

7— अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र व निर्देश पुस्तिका में अंकित निर्देशों की उपेक्षा/अवहेलना करने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

अर्हतायें:—

1—राष्ट्रीयता उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

2–शैक्षिक अर्हताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

3–अधिमानी अर्हतायेंः–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में चयन (श्रेष्ठता सूची) में वरीयता दी जायेगी ।

4–आयुः–पुरूष अभ्यर्थी की दशा में उसने दिनांक 01–07–2011 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01–07–1993 के पश्चात न हुआ हो तथा दिनांक 02–07–1989 से पूर्व न हुआ हो तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने दिनांक 01–07–2011 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01–07–1993 के पश्चात न हुआ हो तथा दिनांक 02–07–1986 से पूर्व न हुआ हो ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

5– चरित्र– अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगें।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

6–वैवाहिक प्रस्थितिः– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और पुलिस आरक्षी के पद हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7–शारीरिक स्वस्थता– अभ्यर्थी को शारीरिक व मानशिक रूप से भलीभॉति स्वस्थ्य होना चाहिये । शारीरिक रूपसे विकलांग भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

भर्ती प्रकियाः—

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रकिया चरणबद्ध रूप से निम्नवत् होगीः—

क्र0 सं0	प्रकिया	पुरूष	महिला (केवल पुलिस आरक्षी पद हेतु)	
1	शारीरिक मानक परीक्षा	**ऊंचाई—** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये—168 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये—160 से0मी0 **सीने की माप—** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये—79 से0मी0 व फुलाने पर 84 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये—77 से0मी0 व फुलाने पर 82 से0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए। **टिप्पणीः—**न्यूनतम 5 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।	**ऊंचाई—** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये—152 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये—147 से0मी0 **वजनः—** न्यूनतम 40 किलोग्राम	अर्हकारी
2	शारीरिक दक्षता परीक्षा	60 मिनट में 10 किमी0 की दौड़ पूरा किया जाना अनिवार्य है।	35 मिनट में 05 किमी0 की दौड़ पूरा किया जाना अनिवार्य है ।	अर्हकारी
3	लिखित परीक्षा	वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगीः— 1—सामान्य ज्ञान — 50 अंक 2—आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण — 50 अंक 3—अभिरूचि परीक्षण — 50 अंक 4—बुद्धिशक्तिपरीक्षण — 50 अंक **कुलयोग — 200 अंक** **समय सीमा — 02 घण्टे** लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायी जा रही अनुदेश पुस्तिका में दिया गया हैं।	प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक तथा कुल योग का 35 प्रतिशत औसत अंक अर्हकारी।

टिप्पणीः—शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व लिखित परीक्षा की तिथि, समय व केन्द्र की सूचना अनुक्रमांक सहित अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से यथासमय दी जायेगी तथा बोर्ड की वेबसाइट http://www.uppolrecpro.gov.in पर भी प्रकाशित की जायेगी ।

आरक्षण व आयु सीमा में छूटः— अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैंः—

<u>लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण</u>

क0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	02 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–2	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

<u>क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण</u>

क0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	5 वर्ष	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप–3	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उपजिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
2	भूतपूर्व सैनिक	05	3 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	होमगार्ड्स	05	03	होमगार्ड्स प्रमाण पत्र	जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स
4	महिला (केवल पुलिस आरक्षी पद हेतु)	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1–3 में अंकित श्रेणी के अनुसार		

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी':—स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर–प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) विवाहित अथवा अविवाहित से है।

भूतपूर्व सैनिक:—''भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है ।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक योग्यता की अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हैं तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

(छः) और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैंः–

(1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(सात) संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेना से सेवा निवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आयेंगे उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे। अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत हैं तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वह भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

होमगार्ड्स :– होमगार्ड्स के जवान को अधिकतम आयु सीमा में छूट उसी दशा में प्राप्त होगी जब वे उक्त भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हों तथा उन्होनें दिनांक 01.07.2011 तक होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यह छूट होमगार्ड्स के केवल पुरूष अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी ।

टिप्पणीः–

(1) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा ।

(2) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

*(3) भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अन्य

1– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर यह भर्ती अस्थाई है।

2– अपूर्ण तथा अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें एवं इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार/दावा मान्य नहीं होगा।

3– जो अभ्यर्थी अपने चयन हेतु किसी प्रकार की कोई सिफारिश करवाने अथवा किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

4– किसी तथ्य को छिपाने या गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

5– अभ्यर्थी का अंतिम चयन उसके चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा।

6— अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

7— अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी पद के सम्बन्ध में अभ्यर्थन की दी गयी वरीयताक्रम (Order of preference) अन्तिम होगी तथा इसमें परिवर्तन/संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप–1
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री................ ....निवासी ग्राम...................तहसील.....................नगर..........................जिला................................. उत्तर प्रदेश राज्य की..................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के........................ग्राम... ....तहसील................नगर...........................जिला.........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................   हस्ताक्षर.............................

दिनांक..............................   पूरा नाम.............................

पदनाम ....

मुहर..................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप–2
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री................ ....निवासी ग्राम...................तहसील.....................नगर..........................जिला................................. उत्तर प्रदेश राज्य की..................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।श्री/श्रीमती/कुमारी... ....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील.................. ....नगर............................जिला.........................में सामान्यतः रहता है ।

स्थान.................................   हस्ताक्षर..............................

दिनांक..............................   पूरा नाम.............................

पदनाम..............................

मुहर.................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप–3

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/3/1982–कार्मिक–2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..निवासी................................ग्राम............................तहसील.....................नगर.......................जिला......................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)........................पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...................................के आश्रित हैं।

स्थान...

दिनांक.......................................   हस्ताक्षर......................................

पूरा नाम.....................................

पद नाम......................................

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–1

अधिसूचित डाकघरों की सूची जहां से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं –

क0सं0	जनपद	डाकघर का नाम	क0सं0	जनपद	डाकघर का नाम
1	एटा	मुख्य डाकघर एटा	39	बलरामपुर	मुख्य डाकघर बलरामपुर
2	एटा	जलेसर	40	कांशीराम नगर	कासगंज
3	एटा	अलीगंज	41	कौशाम्बी	मुख्य डाकघर सिराथू
4	झांसी	मुख्य डाकघर झांसी	42	रमाबाई नगर	उप डाकघर अकबरपुर
5	झांसी	उप डाकघर मऊरानीपुर	43	कानपुर नगर	घाटमपुर
6	झांसी	तालबेहट	44	कानपुर नगर	बिल्हौर
7	इटावा	मुख्य डाकघर इटावा	45	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर
8	इटावा	भरथना, इटावा	46	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर कैण्ट
9	इटावा	सैफई	47	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर नवाबगंज
10	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर इलाहाबाद	48	कुशीनगर	मुख्य डाकघर पडरौना
11	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर कचहरी इलाहाबाद	49	कुशीनगर	कसया
12	इलाहाबाद	उप डाकघर इलाहाबाद नगर	50	कन्नौज	मुख्य डाकघर कन्नौज
13	इलाहाबाद	हंडिया	51	कन्नौज	तिरवा
14	इलाहाबाद	करछना	52	मऊ	मुख्य डाकघर मऊनाथ भंजन
15	बलिया	मुख्य डाकघर बलिया	53	मऊ	मुहम्मदाबाद
16	बलिया	मुख्य डाकघर रसड़ा	54	मथुरा	मुख्य डाकघर मथुरा
17	बलिया	बेलथरा रोड	55	मथुरा	उप डाकघर छाता
18	बहराईच	मुख्य डाकघर बहराईच	56	महराजगंज	मुख्य डाकघर महराजगंज
19	बहराईच	नानपारा	57	महामाया नगर	हाथरस
20	बरेली	आंवला	58	महामाया नगर	सिकन्दराराउ
21	बरेली	मुख्य डाकघर बरेली	59	महोबा	मुख्य डाकघर महोबा
22	बरेली	बरेली नगर	60	महोबा	चरखारी
23	बरेली	बहेड़ी	61	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा
24	बांदा	मुख्य डाकघर बांदा	62	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर सम्भल
25	बांदा	उप डाकघर बबेरू	63	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर चंदौसी
26	बाराबंकी	बाराबंकी	64	मुरादाबाद	मुरादाबाद
27	बाराबंकी	हैदरगढ़	65	मुजफ्फरनगर	मुख्य डाकघर मुजफ्फरनगर
28	बागपत	बागपत	66	मुजफ्फरनगर	खतौली
29	बागपत	मुख्य डाकघर बड़ौत	67	मुजफ्फरनगर	शामली
30	बस्ती	हरैया	68	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ कैण्ट
31	बस्ती	मुख्य डाकघर बस्ती	69	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ नगर
32	बदायूं	मुख्य डाकघर बदायूं	70	मेरठ	सरधना
33	बदायूं	गुन्नौर	71	मेरठ	मवाना
34	बदायूं	सहसवान	72	मैनपुरी	मुख्य डाकघर मैनपुरी
35	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	73	मैनपुरी	उप डाकघर मैनपुरी नगर
36	बुलन्दशहर	मुख्य डाकघर, खुर्जा	74	बिजनौर	मुख्य डाकघर बिजनौर
37	बुलन्दशहर	अनूपशहर	75	बिजनौर	मुख्य डाकघर धामपुर
38	बुलन्दशहर	स्याना	76	बिजनौर	मुख्य डाकघर नजीबाबाद

77	मिर्जापुर	मुख्य डाकघर मिर्जापुर	115	छत्रपति साहूजी महाराज नगर	मुख्य डाकघर अमेठी
78	मिर्जापुर	चुनार	116	देवरिया	मुख्य डाकघर देवरिया
79	सिद्धार्थ नगर	मुख्य डाकघर बांसी	117	देवरिया	सलेमपुर
80	सिद्धार्थ नगर	तेतरी बाजार	118	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी
81	सिद्धार्थ नगर	डुमरियागंज	119	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी कैण्ट
82	चित्रकूट	मुख्य डाकघर कर्वी	120	वाराणसी	उप डाकघर बी.एच.यू.
83	फिरोजाबाद	मुख्य डाकघर फिरोजाबाद	121	चन्दौली	मुख्य डाकघर चन्दौली
84	फिरोजाबाद	उप डाकघर शिकोहाबाद	122	फरूर्खाबाद(फतेहगढ़)	मुख्य डाकघर फतेहगढ़
85	हमीरपुर	मुख्य डाकघर हमीरपुर	123	फरूर्खाबाद(फतेहगढ़)	कायमगंज
86	हरदोई	मुख्य डाकघर हरदोई	124	फतेहपुर	मुख्य डाकघर फतेहपुर
87	हरदोई	मुख्य डाकघर सण्डीला	125	फतेहपुर	उप डाकघर बिन्दकी
88	पीलीभीत	मुख्य डाकघर पीलीभीत	126	फैजाबाद	उप डाकघर बीकापुर
89	पीलीभीत	बीसलपुर	127	फैजाबाद	मुख्य डाकघर फैजाबाद
90	प्रतापगढ	मुख्य डाकघर प्रतापगढ	128	ज्योतिबाफूलेनगर	मुख्य डाकघर अमरोहा
91	प्रतापगढ	पट्टी	129	जौनपुर	मुख्य डाकघर जौनपुर
92	प्रतापगढ	लालगंज	130	जौनपुर	मुख्य डाकघर मडियांहू
93	रायबरेली	मुख्य डाकघर रायबरेली	131	जालौन	मुख्य डाकघर उरई
94	रायबरेली	मुख्य डाकघर लालगंज	132	जालौन	उप डाकघर कालपी
95	रामपुर	मुख्य डाकघर रामपुर	133	जालौन	जालौन
96	रामपुर	बिलासपुर	134	अम्बेडकर नगर	मुख्य डाकघर अकबरपुर
97	श्रावस्ती	भिनगा	135	अम्बेडकर नगर	टांडा
98	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर शाहजहांपुर	136	औरैया	औरैया
99	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर तिलहर	137	औरैया	विधुना
100	संत कबीरनगर	मुख्य डाकघर खलीलाबाद	138	आजमगढ़	मुख्य डाकघर आजमगढ़
101	संत रविदास नगर	ज्ञानपुर	139	आजमगढ़	निजामाबाद
102	संत रविदास नगर	भदोही	140	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा कैन्ट
103	सहारनपुर	मुख्य डाकघर सहारनपुर	141	आगरा	संजय पैलेस
104	सहारनपुर	देवबन्द	142	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा फोर्ट
105	सीतापुर	मुख्य डाकघर सीतापुर	143	आगरा	फतेहाबाद
106	सीतापुर	उप डाकघर सिधौली	144	अलीगढ़	मुख्य डाकघर अलीगढ़
107	सीतापुर	उप डाकघर सीतापुर नगर	145	अलीगढ़	अतरौली
108	सीतापुर	बिसवां	146	अलीगढ़	इगलास, अलीगढ़
109	सोनभद्र	बड़ा डाकघर राबर्ट्सगंज	147	गाजियाबाद	मुख्य डाकघर गाजियाबाद
110	सोनभद्र	शक्तिनगर	148	गाजियाबाद	मोदीनगर
111	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर सुलतानपुर	149	गाजियाबाद	प्रधान डाकघर, हापुड़
112	उन्नाव	उन्नाव	150	गोण्डा	मुख्य डाकघर गोण्डा
113	उन्नाव	पुरवा	151	गोण्डा	नवाबगंज
114	छत्रपति साहूजी महाराज नगर	मुसाफिरखाना	152	गोण्डा	कर्नेलगंज

153	गोरखपुर	उप डाकघर बांसगांव	161	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघरगोलागोकर्णनाथ
154	गोरखपुर	मुख्य डाकघर गोरखपुर	162	लखीमपुर खीरी	पलिया
155	गोरखपुर	मुख्य डाकघर कुराघाट	163	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघर खीरी
156	गौतमबुद्ध नगर	मुख्य डाकघर नोएडा	164	लखनऊ	प्रधान डाकघर लखनऊ
157	गौतमबुद्ध नगर	दादरी	165	लखनऊ	मुख्य डाकघर चौक लखनऊ
158	गाजीपुर	गाजीपुर	166	लखनऊ	दिलकुशा
159	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद युसुफपुर	167	लखनऊ	आर.एस.एम.नगर
160	गाजीपुर	सैदपुर	168	लखनऊ	अलीगंज
			169	ललितपुर	मुख्य डाकघर ललितपुर